न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

कमांक/वि.अ./716/20/भीलवाड़ा(2020/00716)

विभागीय अपील द्वारा श्री मिश्री लाल मीणा, वरिष्ठ सहायक, विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा आदेश कमांक एफ 1–18(1)( ) स्था./2019/ 16672 दिनांक 09–08–2019 जिसके द्वारा अपचारी अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (without comulative effect)से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री मिश्री लाल मीणा, वरिष्ठ सहायक

निर्णय

दिनांकः– 21-5-2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 09–08–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। भीलवाड़ा C.A.

संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 20–06–2014 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 17 सीसीए मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह है कि आप श्री मिश्री लाल मीणा क0लि0 (पंजीयन लिपिक) तहसील कार्यालय जहाजपुर भीलवाड़ा के पद पर दिनांक 10–11–2012 से कार्यरत है दिनांक 15–3–2014 को अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें काफी अनियमितताएं पाई गई निरीक्षण रिपोर्ट कमांक/8052 दिनांक 17–3–2014 को प्रेषित करते हुए 15 दिवस में पालना सुनिश्चित की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार, जहाजपुर ने अवगत कराया है कि आपने उक्त निर्देशों की पालना नहीं की है तथा बकाया कार्य सम्पादित नहीं किया गया है। साथ ही इस संबंध में आपको अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पत्र कमांक 89087 दिनांक 08/09–5–2014 से कारण

संभागीय आयुक्त अजमेर

संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned with CamScanner

बताओं नोटिस जारी किया गया परन्तु आपने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 02–07–2014 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 30.9.2014 दिया गया। अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनके द्वारा लिखित अभिकथनों को दोहराया गया। तत्पश्चात जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी अधिकारी श्री मिश्री लाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (without comulative effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त दण्डदेश कमांक एफ 1–18(1)( )/स्था/2019/16672 दिनांक 09–08–2019 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कर्मचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर भीलवाढ़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपचारी कर्मचारी पर आयत आरोप के संबंध में कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने निरीक्षण दिनांक 15–3–2014 को किया था एवं पंजीयन लिपिक पर अपचारी को दिनांक 10–11–2012 से निरन्तर दर्शा कर तात्विक त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी दिनांक 11–5–2010 से 17–4–2011 तक ही तहसील में पंजीयन लिपिक रहा था। प्रार्थी के बाद श्री रतन लाल मीणा दिनांक 18–4–2011 से 27–7–2012 तक पंजीयन लिपिक रहे एवं दिनांक 23–7–2012 को तहसीलदार ने यह कार्य श्री नरेन्द्र बाफना को आवंटित कर दिया था। इस प्रकार प्रार्थी निरीक्षण दिनांक 15–3–2014 को पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत नहीं था। निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रार्थी को निरन्तर पंजीयन लिपिक दर्शाकर दोषारोपित करते हुए दण्ड दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस के दौरान उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी निरीक्षण दिनांक 15–3–2014 के पूर्व एवं पश्चात अर्थात दिनांक 1–10–2013 से तहसीलदार एवं कार्मिक उप पंजीयक कार्यालय जहाजपुर में पदस्थापित रहा है, इसकी सूचना प्रार्थी को तहसीलदार, जहाजपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत उपलब्ध कराई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

निरीक्षण दिनांक 15–3–2014 को हुआ एवं प्रार्थी निरीक्षण दिनांक को पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत ही नहीं था। प्रार्थी दिनांक 11–5–2010 से 17–4–2011 तक ही पंजीयन लिपिक रहा है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अनुशासनिक अधिकारी के आदेश कमांक स्थापना/2013/एफ द. 25(4)/51/15705 दिनांक 17–7–2013 से तहसील जहाजपुर से उपतहसील पण्डेर के रिक्त पद पर कर दिया एवं प्रार्थी को तहसीलदार जहाजपुर के आदेश कमांक 2014/401–409 दिनांक 31–10–2013 से कार्यमुक्त कर दिया गया था। प्रार्थी ने उक्त आदेश की पालना में नवसृजित उपतहसील पण्डेर में दिनांक 6–11–2013 को कार्यग्रहण कर लिया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी निरीक्षण दिनांक को तहसील कार्यालय में कार्यरत नहीं था फिर भी अपीलार्थी को दोषी मानते हुए दण्डादेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अतिरिक्त कलक्टर के कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 11–9–2014 को प्रेषित कर दिया गया था जिसमें उल्लेखित किया गया था कि प्रार्थी का स्थानान्तरण नव सृजित उप तहसील पण्डेर हो जाने से समस्त प्रकार का सम्पूर्ण चार्ज श्री रामलाल व पंकज प्रतिहार को संभला दिया गया था। निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं बाबत अपीलार्थी को दोषारोपित किया गया है जबकि निरीक्षण आक्षेपों में वित्तीय अनियमितताओं संबंधी बिन्दु ही नहीं है यह सुधार करने संबंधी निर्देश थे। अपीलार्थी द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान कभी भी उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना नहीं की एवं राजकार्य को पूर्ण निष्ठा से सम्पन्न किया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 09–08–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर भीलवाडा से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र कमांक 15182 दिनांक 30–01–2020 से अवगत कराया है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर अपने कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता तथा गैरजिम्मेदाराना रवैये के कारण दोषी मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है।

अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 15–3–2014 को पंजीयन लिपिक के पद का निरीक्षण किया गया जिसमें काफी अनियमितताएं पायी गयी जिसमें तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा अवगत कराया कि श्री मीणा द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई है तथा न ही अतिरिक्त जिला

संभागीय आयुक्त
अजमेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned with CamScanner

कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा जारी नोटिस का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कार्मिक का उपरोक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं राज्यादेश की अवहेलना के फलस्वरूप जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिया गया दण्डादेश दिनांक 9–8–2019 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाकर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 9–8–2019 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी अधिकारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 15–3–2014 को निरीक्षण किया गया था। रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निरीक्षण दिनांक को अपीलार्थी तहसील जहाजपुर में पदस्थापित ही नहीं था। श्री रतन लाल मीणा दिनांक 18–4–2011 से 27–7–2012 तक पंजीयन लिपिक रहे एवं दिनांक 23–7–2012 को तहसीलदार द्वारा यह कार्य श्री नरेन्द्र बाफना को आवंटित कर दिया था। इस प्रकार अपीलार्थी निरीक्षण दिनांक 15–3–2014 को पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत नहीं था। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उनके आदेश कमांक एफ.1द–25(4)/51/स्था./13/15705 दिनांक 17–7–2013 से तहसील जहाजपुर से उपतहसील पण्डेर के रिक्त पद पर कर दिया गया था। साथ ही तहसीलदार, जहाजपुर के आदेश कमांक 401–409 दिनांक 31–10–2013 द्वारा अपीलार्थी श्री मिश्री लाल मीणा को पंजीयन का समस्त चार्ज श्री रामलाल मीणा को सुपुर्द कर नायब तहसीलदार पण्डेर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार जहाजपुर के कार्य विभाजन के कार्यालय आदेश कमांक 372 दिनांक 25–7–2012 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री मिश्री लाल मीणा के पास पंजीयन का चार्ज नहीं था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी पर आयत आरोप में अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा निरीक्षण के दौरान काफी अनियमितताएं पायी गयी का उल्लेख किया गया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा क्या अनियमितताएं की गई है जिससे सरकार को किस प्रकार से राजस्व की हानि हुई है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जब अपीलार्थी निरीक्षण के दौरान तहसील जहाजपुर में पदस्थापित ही नहीं था तो अपीलार्थी को दण्ड देना विधिसम्मत नहीं है। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि एडीएम द्वारा

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

निरीक्षण अवधि 1–4–2010 से 31–1–2014 तक दर्शायी गयी है तथा पायी गयी कमियों के लिए उक्त सम्पूर्ण अवधि के लिए केवल प्रार्थी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। आरोप पत्र में भी कई अनियमितताएं करना अंकित किया गया है जबकि कोई विशिष्ठ आरोप नहीं लगाये गये है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी को दिया गया आरोप पत्र अवैधानिक ही नहीं अनुचित भी है तथा आरोप पत्र जारी करते समय सम्यक रूप से परीक्षण नहीं करना सिद्ध करता है। तहसीलदार, जहाजपुर ने अपने पत्र क्रमांक 174 दिनांक 15–9–2014 के द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रतिउत्तर प्रेषित किया जिसमें उल्लेख किया है कि अपीलार्थी मीणा दिनांक 10–11–2012 से तहसील कार्यालय जहाजपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था एवं श्रीमान् के आदेश क्रमांक 15705 दिनांक 17–7–2013 से प्रार्थी का पदस्थापन तहसील कार्यालय जहाजपुर से नायब तहसीलदार कार्यालय पण्डेर में कर दिया जाने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 401–409 दिनांक 31–10–2013 से अपीलार्थी को तहसील जहाजपुर से नायब तहसीलदार पण्डेर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। कार्यमुक्त करने के पश्चात से ही प्रार्थी नायब तहसील पण्डेर में ही कार्यरत है जो कि तहसील कार्यालय जहाजपुर की उपस्थिति पंजीका की छाया प्रति से स्पष्ट है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के नाटिस क्रमांक 89087 दिनांक 9–5–2014 का जवाब अपीलार्थी द्वारा 20–5–2014 को प्रेषित कर दिया था जिसमें अपीलार्थी का पदस्थापन नवसृजित उप तहसील पण्डेर हो जाने से समस्त प्रकार के कार्य का सम्पूर्ण चार्ज श्री रामलाल व पंकज प्रतिहार को संभलाने का उल्लेख है किन्तु फिर भी पंजीयन कार्य में अनियमितताओं बाबत अपीलार्थी को दोषारोपित किया गया है जबकि उसके पास तत्समय पंजीयन लिपिक का विधिवत चार्ज ही नहीं था तथा न ही किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता संबंधी कोई आक्षेप ही अपीलार्थी पर है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। अपचारी कर्मचारी द्वारा पंजीयन कार्य में कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतःएव जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 9–8–2019 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक एफ 1–18(1)( )/स्था/2019/16672 दिनांक 09–08–2019 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलार्थी को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner